Result Mitra Daily Magazine

मध्यप्रदेश के दो नए बाघ अभ्यारण्य

❖ चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्यप्रदेश में दो नए बाघ अभ्यारण्य (Tiger Reserve) की मंजूरी दी है।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1 दिसंबर को माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं 2 दिसंबर को रातापानी वन्यजीव अभ्यारण में नया बाघ अभ्यारण्य को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।
- इस मंजूरी के बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 57वां बाघ अभ्यारण्य एवं रातापानी वन्यजीव अभ्यारण देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है।
- इन दो नए बाघ अभ्यारण्य की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश में कुल बाघ अभ्यारण्यों की संख्या 9 हो गई है।

❖ माधव राष्ट्रीय उद्यान :

- माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्यप्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है।
- माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी।

- शुरुआत में इसका क्षेत्रफल 167 वर्ग किलोमीटर था, जिसे बाद में बढ़ाकर 354 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया।
- 1956 में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था, जिसे बाद में 1959 में इसका नाम बदलकर माधव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया।
- वर्ष 2022 में इस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक मानव निर्मित जलाशय "सांख्य सागर" को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया।

❖ टाइगर रिजर्व के रूप में माधव राष्ट्रीय उद्यान :

- 1 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की तकनीकी समिति ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रखा, जिसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई।
- यह टाइगर रिजर्व 1751 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा, जो जिसमें 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कोर क्षेत्र और 1276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बफर क्षेत्र के रूप में होगा।

❖ रातापानी वन्यजीव अभ्यारण :

- रातापानी वन्य जीव अभ्यारण भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है, जो राज्य की राजधानी भोपाल के समीप है।
- रातापानी वन्य जीव अभ्यारण की स्थापना 1976 ई. में वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के रूप में हुई थी।
- इस अभ्यारण का नाम रातापानी यहां बहने वाली स्थानीय नदी "राता" के नाम पर रखा गया, जो इस अभ्यारण के मध्य से होकर गुजरती है।
- वन्यजीव अभ्यारण में स्तनधारी की 30 प्रजातियां, पक्षियों की 112 प्रजातियां, मछली की 15 प्रजातियां एवं सरीसृप की लगभग 8 प्रजातियां पाई जाती है।
- रातापानी वन्यजीव अभ्यारण को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना 2 दिसंबर 2024 को जारी की गई, हालांकि NTCA द्वारा वर्ष 2008 में ही इसे टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी।
- इस टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1271.465 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 763.812 वर्ग कि.मी.कोर एरिया एवं 507.653 वर्ग किलोमीटर बफर एरिया के रूप में है।
- वर्तमान में इस रिजर्व में बाघों की कुल संख्या 40 है।

❖ टाइगर रिजर्व क्या है ?

- भारत में "बाघ अभयारण्य" बाघों और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए "प्रोजेक्ट टाइगर" के तहत स्थापित एक निर्दिष्ट क्षेत्र है।
- "टाइगर रिजर्व" बाघों की आबादी की रक्षा करने, जैव विविधता बनाए रखने तथा पारिस्थितिकी संतुलन बहान करने की भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
- टाइगर रिजर्व में आमतौर पर कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र के रूप में भूमि के बड़े हिस्से होते हैं।
- टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र को कानूनी तौर पर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण के रूप में नामित किया जाता है।
- "बफर क्षेत्र", वन और गैर–वन भूमि का मिश्रण होता है, जिन्हें मिश्रित उपयोग क्षेत्र के रूप में बनाए रखा जाता है तथा यह वन्यजीव के लिए संरक्षण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
- दो नए भाग अभ्यारण्यों को मिलाकर वर्तमान में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के अनुसार भारत में कुल 59 बाघ अभयारण्य है।
- ये 59 बाग अभ्यारण्य भारत के लगभग 82,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.3% है।
- NTCA द्वारा प्रत्येक 4 वर्षों में बाघों की गणना की जाती है।
- NTCA के वर्ष 2022 में बाघों की गणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 3167 है, जो दुनिया के कुल जंगली बाघों की आबादी का 70% है।

❖ भारत में पहला बाघ अभ्यारण क्यों और कब बना ?

- 20वीं सदी के मध्य में भारत में शिकार, आवास की कमी एवं अन्य मानव गतिविधियों के कारण बाघ की आबादी तेजी से घट गई।
- भारत की आजादी के बाद बाघों की घटती आबादी में और वृद्धि देखी गई।
- बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1969 ई. में बाघ सहित जंगली बिल्लियों की खाल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- बाघों के संरक्षण को और बढ़ाते हुए भारतीय वन्य जीवन बोर्ड (JBWL) ने बाघों के संरक्षण रणनीति तैयार करने के लिए एवं "प्रोजेक्ट टाइगर" की शुरुआत के लिए 11 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया।
- इस 11 सदस्यीय टास्क फोर्स ने अगस्त 1972 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पूरे भारत में 8 बाघ अभ्यारण्यों को बनाने की सिफारिश की गई।
- इसी क्रम में 1 अप्रैल 1973 को "प्रोजेक्ट टाइगर" को आधिकारिक तौर पर "जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व" में लॉन्च किया गया।

- इसके अंतर्गत प्रारंभिक चरण में भारत में 9 बाघ अभ्यारण को शामिल किया गया, जिनमें जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड), पलामू (झारखंड), सिमलीपाल (उड़ीसा), सुंदरवन (पश्चिम बंगाल), मानस (असम), रणथंभौर (राजस्थान), कन्हा (मध्य प्रदेश), मेलघाट (महाराष्ट्र)और बांदीपुर (कर्नाटक) शामिल है।

❖ टाइगर रिजर्व कैसे बनाया जाता है ?

- बाघों की व्यवहार्य आबादी और उपयुक्त आवास की उपस्थिति के आधार पर राज्य सरकार बाघ अभ्यारण के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करती है।
- राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त क्षेत्र की पहचान के बाद शिकार के आधार, वनस्पति और बाघों को समर्थन देने की क्षेत्र की क्षमता का अध्ययन सहित पारिस्थितिक आकलन किया जाता है।
- इन सबके बाद राज्य इसके लिए मानचित्र पारिस्थितिक अध्ययन और प्रबंधन योजनाओं की एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करता है।
- तत्पश्चात संबंधित राज्य अपने इस प्रस्ताव को NTCA के सामने प्रस्तुत करता है, जिसका NTCA अध्ययन करने के बाद मंजूरी देता है तथा आगे के विचार के लिए इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंपता है, जो टाइगर रिजर्व को अंतिम मंजूरी प्रदान करता है।
- इस मंजूरी के बाद राज्य सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करता है, जिससे चिन्हित क्षेत्र को बाघ अभ्यारण घोषित किया जाता है।
- "टाइगर रिजर्व" को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत रखा गया है, जो इसे संरक्षण गतिविधियों के लिए केंद्रीय वित्त पोषण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा NTCA द्वारा इसकी नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है।

❖ "बाघ अभ्यारण" के लाभ :

- वन्यजीव शोधकर्ताओं के अनुसार 'बाघ' पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को विनियमित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- बाघ जैसे शीर्ष मांसाहारी के संरक्षण से पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य जैसे जैव विविधता, पानी और जलवायु की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- नेचर में प्रकाशित 2023 के अध्ययन के अनुसार, बाघ अभयारण्यों में 2007 से 2020 के बीच लगभग 5800 हेक्टेयर से अधिक जंगलों के नुकसान को रोकने में मदद मिली, जिसने वायुमंडल में लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन–डाइऑक्साइड को फैलने से रोका, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सकारात्मक योगदान मिला।

❖ मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व :

➢ कान्हा टाइगर रिजर्व

- इस वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
- क्षेत्रफल–940 वर्ग किलोमीटर
- कुल बाघ–80

➢ पेंच टाइगर रिजर्व

- यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1169 वर्ग किमी है।

➢ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व

- 1968 में टाइगर रिजर्व घोषित
- क्षेत्रफल–448 वर्ग किमी

➢ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

- 1981 में टाइगर रिजर्व घोषित
- क्षेत्रफल–524 वर्ग किमी

➢ पन्ना टाइगर रिजर्व

- स्थापना–1981 एवं 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित
- क्षेत्रफल–576 वर्ग किमी

➢ नौरादेही टाइगर रिजर्व

- 20 सितंबर 2023 को टाइगर रिजर्व घोषित

➢ संजय डुबरी टाइगर रिजर्व

- टाइगर रिजर्व 1975 में घोषित
- क्षेत्रफल–812 वर्ग किमी

- मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या 785 है, जिसके कारण इसे "टाइगर स्टेट" का दर्जा दिया गया है।
- भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या वाला जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जिसमें बाघों की कुल संख्या 260 है।
- मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कर्नाटक (563), उत्तराखंड (560), महाराष्ट्र (444) और तमिलनाडु (306)है।